संख्या-सा-3-296/दस-93-19/92

प्रेषक,

श्री सी0 एम0 वासुदेव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 1993 ।

विषय :--नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तारण ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सा-3-657/दस-900/78 दिनांक 10-5-1978 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-3-1819/दस-919/79 दिनांक 18-8-79 में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकारी सेवकों का सेवारत/सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु पर देय पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि रुपया 250 होगी तथा यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो गई हो तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशनें देय होंगी किन्तु उनके योग की अधिकतम सीमा रुपया 500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी ।

2--दिनांक 1 जनवरी, 1986 से नये वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि में पर्याप्त वृद्धि अपेक्षित हो गई थी और तदनुसार शासनादेश संख्या-सा-3-1168/दस-935/87 दिनांक 22-6-1987 में जारी आदेशों के अनुसार दिनांक 1-1-1986 से पारिवारिक पेंशन की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं :--

मूल वेतन प्रतिमाह	पारिवारिक पेंशन की मासिक दर
1500 रुपये से अनधिक	.. मूल वेतन का 30 प्रतिशत
1,500 से अधिक परन्तु 3000 से अनधिक	.. मूल वेतन का 20 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 450 रुपये प्रतिमाह होगा ।
3,000 रुपये से अधिक	. मूल वेतन का 15 प्रतिशत जिसका न्यूनतम 600 रुपया तथा अधिकतम 1250 रुपये होगा ।

3--उपरोक्त दरों के अनुसार दो पारिवारिक पेंशनें मिलने की दशा में निर्धारित 500 रुपये की अधिकतम सीमा में भी संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है । इस संबंध में समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1-1-1986 से उन मामलों में जिनमें पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक रहे हों और दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके बच्चों को नियमानुसार दो पेंशनें देय हों तो दोनों पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार विनियोजित करने के आदेश प्रदान किये हैं :--

(1) यदि उक्त दोनों पेंशनें बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत देय होंगी तो प्रथम 7 वर्ष या कम जैसी स्थिति हो, के लिये अन्तिम आहरित वेतन के आधे अथवा सामान्य दर पर देय पारिवारिक पेंशन के 1½ गुने के बराबर जो भी कम हो के अनुसार आगणित प्रत्येक पारिवारिक पेंशन के योग की धनराशि का अधिकतम रुपया 2,500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

(2) यदि एक पारिवारिक पेंशन उपरोक्तानुसार बढ़ी हुई दर पर तथा एक सामान्य दर पर देय होगी तो भी दोनों पेंशनों का योग अधिकतम 2500 रुपया प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा तथा

(3) यदि दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर देय होंगी तो दोनों पेंशनों की धनराशि का योग रुपया 1250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

4--अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन/पेंशनों की देय धनराशि निर्धारित कराने का कष्ट करें । जिन मामलों में दिनांक 1-1-1986 से स्वीकृत की जा चुकी पारिवारिक पेंशनों की धनराशि को उपरोक्त आदेशानुसार पुनरीक्षित करके पी0पी0ओ0 पर अंकित किया जाना अपेक्षित हो,

उनमें संबंधित कोषाधिकारी द्वारा अगला भुगतान करते समय अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर्ता द्वारा मात्र सादे कागज पर आवेदन किये जाने पर पारिवारिक पेंशन की धनराशि को दिनांक 1-1-1986 से पुनरीक्षित करके पी0पी0ओ0 पर अंकित कर दिया जायेगा तथा उसका भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

सी0 एम0 वासुदेव,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3-296 (1)/दस-93-19/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम एवं द्वितीय इलाहाबाद।
2--समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3--राज्यपाल सचिवालय।
4--विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
5--निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6--पेंशन भुगतानादेश जारी करने वाले विभागों के मुख्य लेखाधिकारी।
7--सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

गणेशदत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0ए0पी04 सा0वित्त-21-4-93-(126)1993-15,000 (मेंग.)